प्रेषक

लाल बहादुर यादव,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: 30-03-2026

विषय:-उ0प्र0 में कृषि के सुदृढीकरण हेतु '' Intervention of Improved Agricultural Technologies for Transforming Agriculture in Uttar Pradesh for enhancing Farmers Income" योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रसार/3423/लेखा/प्राइ.सेक्टर/2025-26, दिनांक 25.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु उ0प्र0 में कृषि के सुदृढीकरण हेतु '' Intervention of Improved Agricultural Technologies for Transforming Agriculture in Uttar Pradesh for enhancing Farmers Income" योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1507.00 लाख और कार्ययोजना अनुरूप निर्गत धनराशि रू0 1285.01 लाख के अन्तर/अवशेष की धनराशि रू0 221.99 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख नियानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रू0 में

योजना का नाम	लेखाशीर्षक/मानक मद	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
उ0प्र0 में कृषि के सुदृढीकरण हेतु '' Intervention of Improved Agricultural Technologies for Transforming Agriculture in Uttar Pradesh for enhancing Farmers Income" योजना	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 11-वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबन्धन	**42-** अन्य व्यय	1507.00	221.99

(रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख नियानबे हजार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश/कार्ययोजना/गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

3- वित्तीय स्वीकृति जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

4- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियमों संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

5- विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आंवटित की जाए। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए। क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेण्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता, अनुदान सं0, लेखाशीर्षक, मानकमद इत्यादि का बजट प्राविधान/निर्धारित परिव्यय को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।

7- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभाथ्र्ाी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

9- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित परियोजना की संरचना कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हुई है तथा प्रस्ताव एवं आगणनों की जॉच सक्षम स्तर से कर ली गयी है।

10- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए- 1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाश्र्ाी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 तथा पत्र संख्या-सी.पी.एस.-1-1/2015- एन.एफ.एस.एम.(सी.डी.पी.), दिनांक 9.7.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

12- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

13- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

14- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमो के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व, कृषि निदेशक एवं महानिदेशक उपकार, लखनऊ का होगा।

15- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 11-वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबन्धन के मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

16- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी निर्देशों/शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0- 4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024, कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनांक 16.07.2024 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2024-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों/ प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा साथ ही इस सम्बन्ध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17- योजनान्तर्गत निर्गत कार्ययोजना शासनादेश संख्या-701/12-3-2024-1410126, दिनांक 01 जुलाई, 2024 एवं शासनादेश संख्या-797/12-3-2025-1410126, दिनांक 21.08.2025 तथा शासनादेश संख्या-839/12-3-2025-1410126, दिनांक 03.11.2025 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/अग्रिम आहरण कर उपकार को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें, तथा प्रकरण में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू0सी0) उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय

लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-22/2026/ 222(1)/12-3-2026-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध सहित से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

4- महानिदेशक, उपकार, गोमती नगर, उ0प्र0 लखनऊ।

5- अपर कृषि निदेशक (प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ।

6- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।